ए.

एम/एस बैंगलोर क्लब

बनाम

संपत्ति कर और ए. एन. आर. का आयुक्त। (2007 की सिविल अपील संख्या 3964-71)

बी.

सितंबर 08,2020

[आर**.** एफ**.** नरीमन**,** नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी**,** जे**.** जे**.]**

धन कर अधिनियम, 1957-एस.3, 21 ए. ए.-संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए बैंगलोर क्लब की देयता-निर्धारण अधिकारी ने माना कि क्लब 1957 के अधिनियम के तहत कर लगाने के लिए उत्तरदायी था-सी. आई. टी. (अपील) द्वारा खारिज की गई अपील-अपीलीय न्यायाधिकरण ने निर्धारण अधिकारी और सी. आई. टी. (अपील) के आदेशों को अपास्त करना दिया-उच्च न्यायालय ने राजस्व के पक्ष में फैसला किया-समीक्षा याचिका खारिज कर दी-आयोजित:s.21AA को कर चोरी को रोकने के लिए पेश किया गया था-इसे "एक और कर योग्य व्यक्ति" के रूप में व्यक्तियों के संघ में शामिल नहीं होने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसके लिए अधिनियम लागू होगा-बैंगलोर क्लब व्यक्तियों का एक संघ है न कि एक व्यक्ति द्वारा, जो अन्यथा आकलन योग्य है, सदस्यों के शेयरों को परिभाषित किए बिना बड़ी संख्या में व्यक्तियों के संघों में से एक है ताकि कर दायित्व से बचा जा सके-ताकि करों को आकर्षित करने वाले व्यक्तियों का एक संघ बन सके।21 ए. ए. यह आवश्यक है कि व्यक्ति आय या लाभ अर्जित करने के लिए किसी व्यवसाय या वाणिज्यिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एकजुट हों-बैंगलोर क्लब एक सामाजिक क्लब है-जो व्यक्ति एक साथ जुड़े हुए हैं वे आय या लाभ अर्जित करने के लिए किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए एकजुट नहीं होते हैं -s.21AA वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं होता है-प्रभावित निर्णय और समीक्षा निर्णय को अपास्त करना दिया गया-आय कर अधिनियम, 1961 -धारा 2 (31), 167 क।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** धारा **3** धन कर अधिनियम में प्रभार अनुभाग है। धारा **3** के तहत केवल तीन प्रकार के व्यक्तियों का संपत्ति कर के लिए आकलन किया जा सकता है अर्थात व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियाँ।यदि केवल धारा **3 (1)** को देखा जाए, तो बैंगलोर क्लब को न तो एक व्यक्ति होने के नाते, न ही एक एचयूएफ, और न ही एक कंपनी को संभवतः धन कर के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

जी.

एच.

488 ए.

489

मेसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर.

यह प्रावधान।**1981** के वित्त विधेयक द्वारा धन कर अधिनियम में धारा **21** एए को शामिल किया गया था। धारा **21** ए. ए. **1** अप्रैल, **1981** से अधिनियमित की गई थी।पहली बार **1** अप्रैल, **1981** से किसी कंपनी या सहकारी समिति के अलावा अन्य व्यक्तियों के संघ को कर के दायरे में लाया गया है, जहां तक संपत्ति कर का संबंध है, तो इस बात पर जोर दिया जाता है कि आय या संपत्ति या दोनों में ऐसे संघ के सदस्यों के व्यक्तिगत शेयर इसके गठन की तारीख को या उसके बाद किसी भी समय अनिश्चित या अज्ञात होने चाहिए।इसके बाद ही खंड आकर्षित होता है।**[**पारस **9-13] [497-C, E-F; 499-H; 500-A-B]**

बी.

1.2 जब संसद ने धन कर अधिनियम की धारा **21** ए. ए. में "व्यक्तियों के संघ" पद का उपयोग किया, तो यह जानना आवश्यक है कि यह पद एक संबद्ध संबद्ध कानून, अर्थात् आयकर अधिनियम में टिप्पणी का विषय रहा है, जो आय या लाभ अर्जित करने के लिए एक कराधान कानून के संदर्भ में एक व्यावसायिक उद्देश्य के रूप में एक सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्तियों के एक साथ जुड़ने का उल्लेख करता है।धन कर अधिनियम की धारा **21** एए को आकर्षित करने वाले व्यक्तियों का एक संघ बनने के लिए, यह आवश्यक है कि व्यक्ति आय या लाभ अर्जित करने के लिए किसी व्यवसाय या वाणिज्यिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एकजुट हों।अनुमान सेक की भाषा से मजबूत होता है। **21** ए. ए. **(2),** जो व्यक्तियों के एक संघ द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय या पेशे की बात करता है जो तब बंद हो जाता है या भंग हो जाता है।इसलिए प्रावधान का जोर उन व्यक्तियों के संघों को शामिल करना है जिनका सामान्य उद्देश्य एक व्यवसाय या व्यावसायिक उद्देश्य है, अर्थात् आय या लाभ अर्जित करना।

बैंगलोर क्लब एक सामाजिक क्लब होने के नाते, जिसके उद्देश्यों को इस मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भित किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति एक साथ जुड़े हुए हैं, वे आय या लाभ कमाने के लिए किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए एक साथ नहीं जुड़ते हैं।एलिस ब्रिज जिमखाना में निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि कर चोरी को रोकने के लिए धारा **21** एए लागू की गई है।इसे लागू करने का कारण यह नहीं था कि व्यक्तियों को "एक और कर योग्य व्यक्ति" के रूप में जोड़ा जाए, जिन पर यह अधिनियम लागू होगा।इसका उद्देश्य कुछ मूल्यांकनकर्ताओं को शामिल करना था जिन्होंने बड़ी संख्या में निर्माण का सहारा लिया है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

व्यक्तियों के ऐसे संघों के सदस्यों के शेयरों को विशेष रूप से परिभाषित किए बिना व्यक्तियों के संघ का, ताकि कर से बचा जा सके।धारा **21** ए. ए. के अर्थ में, इस उद्देश्य को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।**[**पारस **19,24** और **26] [502-**ई-एफ**; 506-**ए-डी**; 508-**जी-एच**]**

क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बॉम्बे लेबर यूनियन

[1969] 1 एस. सी. आर. **600-**पर निर्भर।

बी.

1.3 बैंगलोर क्लब व्यक्तियों का एक संघ है, न कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अन्यथा मूल्यांकन योग्य है, सदस्यों के शेयरों को परिभाषित किए बिना बड़ी संख्या में व्यक्तियों के संघों में से एक का निर्माण है ताकि कर देयता से बचा जा सके।संपत्ति कर अधिनियम की धारा **21** एए वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं होती है।इस धारा को कर योग्य व्यक्तियों की श्रेणी में एक और श्रेणी जोड़ने के लिए पेश नहीं किया गया था-जो धन कर अधिनियम की धारा **3 (1)** में संशोधन करके किया जा सकता था। सी. डब्ल्यू. टी. बनाम चिकमगलूर क्लब में निर्णय सही ढंग से तय नहीं किया जा रहा है, इसे खारिज कर दिया गया है।समान रूप से, उच्च न्यायालय का निर्णय जो पूरी तरह से चिकमंगलूर क्लब के मामले में निर्णय पर आधारित है, उसके पास खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है।उप-धारा **(2)** व्यक्तियों के एक संघ द्वारा

"किसी भी व्यवसाय या पेशे को चलाने" के शब्दों से शुरू होती है।सामाजिक सदस्य क्लब द्वारा कोई व्यवसाय या पेशा नहीं चलाया जाता है।इसके अलावा, उप-धारा **(1)** में उल्लिखित व्यक्तियों का संघ ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने लाभ अर्जित करने के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए एकजुट हुए हैं और यदि ऐसा नहीं है, तो उप-धारा **(2)** संभवतः लागू नहीं हो सकती है। जहां तक नियम **35** का संबंध है, फिर से जो स्पष्ट है वह यह है कि परिसमापन पर, क्लब के सभी ऋणों और देनदारियों के निर्वहन के बाद बची हुई किसी भी अधिशेष संपत्ति को क्लब के सभी श्रेणियों के सदस्यों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।इससे पता चलता है कि धारा **21** एए **(1)** के अर्थ के भीतर "उसके बाद किसी भी समय", सदस्यों के शेयरों का निर्धारण किया जाता है कि परिसमापन पर किसी भी श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को समान हिस्सा मिलता है।नियम **35** के तहत बैंगलोर क्लब के सदस्य नियम **35** में बताई गई परिस्थितियों में परिसमापन पर समान रूप से अधिशेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार हैं।हालाँकि, परिणाम वही रहता है-अर्थात।, कि भले ही यह माना जाए कि बैंगलोर क्लब एक संघ ए है

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

491

मेसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर.

व्यक्तियों के लिए, सदस्यों के शेयर निर्धारित होने के कारण धारा **21** एए को आकर्षित नहीं करते हैं। **[पैरा 28,30-32] [509-E-F; 511-A-B, C-D, E-G; 512-B-C]**

सी. डब्ल्यू. टी. बनाम चिकमंगलूर क्लब **197** आई. टी. आर. कर्नाटक **609 -**

खारिज कर दिया।

बी.

सी. आई. टी. बनाम इंदिरा बालकृष्ण (1960) 39 आई. टी. आर. 546-पर निर्भर था।

1.4 आयकर अधिनियम की धारा **2 (31)** में "व्यक्ति" की परिभाषा व्यक्तियों के संगठन और व्यक्तियों के निकाय दोनों को शामिल करेगी।आयकर के उद्देश्यों के लिए, बैंगलोर क्लब को शायद 'व्यक्तियों का निकाय' माना जा सकता है जो 'व्यक्तियों के संगठन' की तुलना में एक

व्यापक अभिव्यक्ति है जिसमें व्यक्तियों के ऐसे निकाय का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें उन व्यक्तियों का संयोजन शामिल होगा जिनके पास हितों की एकता के अलावा और कुछ नहीं था।आयकर अधिनियम के तहत व्यक्तियों के संघ के रूप में कर लगाने के लिए व्यक्तियों के संघ के रूप में कर लगाया जाना है।धारा **21** ए. ए. कर दाताओं के क्षेत्र का विस्तार नहीं करती है, बल्कि केवल चोरी को रोकती है क्योंकि व्यक्तियों का संघ उन सदस्यों के साथ बनाया जाना चाहिए जिनकी आय या परिसंपत्तियों में अनिश्चित हिस्सेदारी है। **[**पैरा **33] [512-**डी-एफ**]**

सी.

डी.

1.5 वर्तमान मामले के तथ्यों में नियम **35** के अनुसार परिसमापन की तारीख को सदस्यों की सूची देखी जानी चाहिए।यह देखते हुए कि उस विशेष तिथि को नियमों में उल्लिखित विभिन्न वर्गों से संबंधित सदस्यों की एक निश्चित सूची होगी, यह स्पष्ट है कि एच. ई. एच. निजाम के परिवार के न्यासियों के अनुपात को लागू करते हुए, सदस्यों की ऐसी सूची एक उतार-चढ़ाव वाला निकाय नहीं है, बल्कि परिसमापन की तारीख को एक निश्चित निकाय फिर से सदस्यों को 'निर्धारित' कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप, धारा। **21** ए. ए. में कोई आवेदन नहीं होगा। विवादित निर्णय और समीक्षा निर्णय को अपास्त करना दिया जाता है।**[**पारस **35,36] [515-**जी-एच**; 516-**ए-बी**]**

ई.

एफ.

सी. डब्ल्यू. टी. बनाम एच. ई. एच. के ट्रस्टी निजाम का परिवार **108** आई. टी. आर. **555 (1977);** पी. वज्रवेलु मुदलियार बनाम भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष उप कलेक्टर **[1965] 1** एस. सी. आर. **614;** सकल दीप सहाय श्रीवास्तव बनाम भारत संघ **(1974) 1** एस. सी. सी. **338:[1974] 2** एस. सी. आर. **485;** श्री भगवती स्टील रोलिंग

जी.

एच.

ए.

मिल्स बनाम सीसीई (2016) 3 एससीसी 643:[2015] 12 एससीआर 332;

दीवान ब्रदर्स।बनाम भारतीय केंद्रीय बैंक **(1976) 3** एस. सी. सी.

800 :[1976] पूरक।एस. सी. आर. **664-**निर्भर।

सीडब्ल्यूटी बनाम एलिस ब्रिज जिमखाना **(1998) 1** एससीसी **384:**

[1997] 4 पूरक।एस. सी. आर 626; बैंगलोर क्लब बनाम सी. आई. टी. (2013) 5 एस. सी. सी. 509:[2013] 1 एससीआर 267; G.Murugesan और ब्रदर्स बनाम सीआईटी 88 आईटीआर 432 (1973); मीरा एंड कंपनी बनाम।सीआईटी (1997) 4 एससीसी 677:[1997] 2 एससीआर 991; रमनलाल

बी.

भाईलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य **(2008) 5** एस**.** सी**.** सी**. 449:[2008] 2** एससीआर **468;** राज्य डब्ल्यू**.** बी**.** बनामबेला बनर्जी **[1954]** एससीआर **558;** पश्चिम बंगाल राज्य बनाम कलकत्ता क्लब लिमिटेड

सी.

(2019) 13 स्केल **474;** के पी वर्गीज बनाम आई**.** टी**.** ओ**. [1982] 1** एस**.** सी**.** आर**. 629-**संदर्भित।

सी. डब्ल्यू. टी. बनाम राम वर्मा क्लब 226 आई. टी. आर. 898 सी. डब्ल्यू. टी. बनाम जॉर्ज

क्लब 191 आईटीआर 368-प्रतिष्ठित।

डेक्कन वाइन एंड जनरल स्टोर बनाम सी**.** आई**.** टी**. 106** आई**.** टी**.** आर**. 111 -**

डी.

संदर्भित किया गया।

बारास बनाम एबरडीन स्टीम ट्रैलिंग एंड फिशिंग

कंपनी 1933 ए. सी. 402-निर्दिष्ट।संदर्भित निर्णय

ई.

(1960) 39 आईटीआर **546**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **4 [2013] 1** एस**.** सी**.** आर**. 267** पैरा **8 [1997] 4** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 626** पैरा **8 88** आई**.** टी**.** आर**. 432 (1973)** पैरा **16 [1997] 2** एस**.** सी**.** आर**. 991** पैरा **17 [2008] 2** एस**.** सी**.** आर**. 468** पैरा **17** पैरा **20**

एफ.

[1965] 1 एससीआर **614**

पर भरोसा किया गया |

[1954] एससीआर **558**

संदर्भित किया गया है

पैरा **20**

जी.

[1974] 2 एससीआर **485**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **21**

[1976] पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 664** पर निर्भर

पैरा **22**

[2015] 12 एससीआर **332**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **23** ए

एच.

493

मेसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर.

[1969] 1 एससीआर **600**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **24 (2019) 13** स्केल **474** पैरा **24 [1982] 1** एस**.** सी**.** आर**. 629** पैरा **27 108** आई**.** टी**.** आर**. 555 (1977)** को संदर्भित किया गया

पैरा **33**

बी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील एन. ओ. एस. 2007 का 3964-3971।

2002 के धन कर अपील सं. 31,32,33,34,35,36 और 37 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से।

सी.

विक्रमजीत बनर्जी, ए. एस. जी., निखिल नय्यर, के. राधाकृष्णन, वरिष्ठ अधिवक्तागण , गौतम नारायण, सुश्री अस्मिता सिंह, दिव्यांशु राय, आदित्य नायर, सुश्री गार्गी खन्ना, सुश्री निरंजना सिंह, श्रीमती अनिल कटियार, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. अनुग्रह वर्ष 1868 में, ब्रिटिश अधिकारियों का एक समूह बैंगलोर क्लब शुरू करने के लिए एकजुट हुआ।अनुग्रह वर्ष 1899 में, एक लेफ्टिनेंट डब्ल्यू. एल. एस. चर्चिल को क्लब की चूककर्ताओं की सूची में रखा गया था, जिसकी संख्या 17 थी, Rs.13 की राशि के लिए-जो क्लब के एक अवैतनिक बिल के लिए थी।"विधेयक" कभी भी "अधिनियम" नहीं बना।आज तक यह राशि अदा नहीं की गई है।लेफ्टिनेंट डब्ल्यू. एल. एस. चर्चिल ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल बने।और बैंगलोर क्लब अपने सांसारिक अस्तित्व को जारी रखता है, एकमात्र उत्साह तब होता है जब कर संग्राहक अपने मांस के पाउंड को निकालने के लिए दरवाजे पर दस्तक देता है।2. ब्रिटिश भारत से भारत को मुक्त करने के लिए अब तेजी से आगे बढ़ें और हम मूल्यांकन वर्षों 1981-82 और 1984-85 से 1990-91 तक आते हैं। इन अपीलों में निर्धारण के लिए सवाल यह है कि क्या बैंगलोर क्लब संपत्ति कर अधिकारी, बैंगलोर द्वारा पारित 3 मार्च, 2000 के मूल्यांकन आदेश के तहत संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि बैंगलोर क्लब एक सोसायटी, एक ट्रस्ट या एक कंपनी के रूप में पंजीकृत नहीं है।मूल्यांकन अधिकारी, क्लब के नियमों के "सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद", इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सदस्यों के अधिकार केवल उपयोगकर्ता या कब्जे तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि निश्चित रूप से हैं।

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

व्यक्तियों के रूप में जिनके पास क्लब की संपत्ति है।आयकर अधिनियम, 1961 में अंतःस्थापित धारा 167 ए का उल्लेख करने के बाद और क्लब नियमों के नियम 35 का उल्लेख करने के बाद, मूल्यांकन अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि सदस्यों की संख्या और विघटन की तारीख सभी अनिश्चित और परिवर्तनशील हैं और इसलिए अनिश्चित हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्लब धन कर अधिनियम के तहत कर लगाने के लिए उत्तरदायी था। 25 अक्टूबर, 2000 के एक गुप्त आदेश द्वारा सी. आई. टी. (अपील) ने उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया।दूसरी ओर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, बैंगलोर द्वारा दिनांक 7 मई, 2002 को पारित एक विस्तृत आदेश द्वारा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने पहली बार बैंगलोर क्लब के उद्देश्यों को संदर्भित किया, जिसे उसने एक "सामाजिक" क्लब के रूप में वर्णित कियाः

बी.

सी.

“1. अपने सदस्यों को सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन और अन्य सुविधाएं प्रदान करना।

2. इसके सदस्यों के बीच सौहार्द और सहभागिता को बढ़ावा देना।3. अपने सदस्यों की सदस्यता और योगदान से अपने सदस्यों के लाभ के लिए क्लब को चलाना।

डी.

4. क्लब की बेहतरी के लिए बिना किसी शर्त के दान और उपहार प्राप्त करना।सामान्य समिति खेल क्षेत्रों के लिए प्रायोजन स्वीकार करने के लिए अपने विवेक का उपयोग कर सकती है।

5. राष्ट्रीय या स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं या आपदाओं के परिणामस्वरूप सामाजिक सेवा के लिए उपाय करना।

ई.

6. भारत और विदेशों दोनों में समान स्थिति वाले अन्य क्लबों के साथ संबद्धता और पारस्परिक व्यवस्था में प्रवेश करना।

7. उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुकूल या आनुषंगिक अन्य सभी कार्यों और चीजों को करना।

एफ.

बशर्ते कि हमेशा और इसके बाद कुछ भी निहित होने के बावजूद, क्लब के उपरोक्त उद्देश्यों में परिवर्तन, संशोधन या संशोधन नहीं किया जाएगा, सिवाय एक आम बैठक के, जिसके लिए अपरिवर्तनीय गणपूर्ति 300 सदस्यों से कम नहीं होगी।क्लब के उद्देश्यों को बदलने, संशोधित करने या संशोधित करने का तात्पर्य रखने वाला कोई भी प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई

बहुमत और उस पर मतदान के अलावा पारित नहीं माना जाएगा।”3. ट्रिब्यूनल ने तब क्लब नियमों के नियम 35 को निर्धारित किया, जिसमें कहा गया हैः

जी.

एच.

495

मैसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

ए.

“समानता रखने वालों का नियम 35:

यदि इसे समाप्त करने का संकल्प लिया जाता है, तो बैठक एक परिसमापक या परिसमापक नियुक्त करेगी और उसका पारिश्रमिक तय करेगी।परिसमापन कंपनी अधिनियम के तहत स्वैच्छिक परिसमापन को नियंत्रित करने वाले कानूनों के अनुसार या उसमें किसी भी वैधानिक संशोधन के अनुसार किया जाएगा और क्लब के सभी ऋणों और देनदारियों के बाद शेष बची किसी भी अधिशेष संपत्ति को क्लब के सदस्यों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा जैसा कि नियम 6.1 (i), 6.1 (ii), 6.1 (iii), 6.2 (i), 6.2 (ii), 6.2 (iii), 6.2 (vii), 6.2 (vii) और 6.2 (ix) में परिभाषित किया गया है।

बी.

सी.

4. धन कर अधिनियम की धारा **21** एए को निर्धारित करने के बाद**,** न्यायाधिकरण ने तब सी**.** आई**.** टी**.** बनाम इंदिरा बालकृष्ण **(1960) 39** आई**.** टी**.** आर**. 546** में इस न्यायालय के फैसले को संदर्भित किया और कहाः

“9. मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जो सदस्य यहां शामिल हुए हैं, वे कोई आय अर्जित करने या कोई लाभ साझा करने के लिए शामिल नहीं हुए हैं।वे क्लब के उद्देश्यों के अनुसार कुछ सुविधाओं का आनंद लेने के लिए शामिल हुए हैं।सदस्य स्वयं क्लब की प्राप्तियों में योगदान दे रहे हैं।सदस्य स्वयं क्लब (एस. आई. सी.) की प्राप्तियों में योगदान कर रहे हैं और आय और व्यय के बीच का अंतर केवल अधिशेष कहा जा सकता है न कि निर्धारिती-क्लब की आय।यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि पारस्परिकता का सिद्धांत निर्धारिती क्लब पर लागू होता है और इसलिए आयकर के लिए भी उत्तरदायी नहीं है।अधिक से अधिक, यह।इसे "व्यक्तियों का निकाय" कहा जा सकता है लेकिन आय अर्जित करने के इरादे से गठित ए. ओ. पी. नहीं।”

डी.

ई.

5. इसके बाद इसने 11 जनवरी, 1992 के एक सीबीडीटी परिपत्र का उल्लेख किया, जिसमें आयकर अधिनियम में धारा 167 ए के समान सामग्री प्रावधान की व्याख्या की गई थी, और इसलिए उपरोक्त परिपत्र को पढ़ने से यह अनुमान लगाया गया कि धारा 21 एए बैंगलोर क्लब के मामले की ओर आकर्षित नहीं होगी।इसके बाद नियम 35 को पढ़ने पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि सदस्य सभी ऋणों और देनदारियों का भुगतान करने के बाद बंद होने पर क्लब की परिसंपत्तियों में समान शेयरों के हकदार हैं, इसलिए इस तरह से तय किए गए शेयरों का निर्धारण भी किया जाता है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 21 एए का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।नतीजतन, अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील को स्वीकार कर लिया और निर्धारण अधिकारी और सी. आई. टी. (अपील) के आदेशों को अपास्त करना दिया।6. इस आदेश के खिलाफ, उच्च न्यायालय के एक गुप्त आदेश द्वारा, सी. डब्ल्यू. टी. बनाम क्लब 197 आई. टी. आर. कर्नाटक 609 में निर्णय को कवर करने के लिए कहा गया था।

एफ.

जी.

एच.

वर्तमान मामले के तथ्य, जिसके परिणामस्वरूप उठाए गए प्रश्न का निर्णय 23 जनवरी, 2007 के विवादित आदेश द्वारा राजस्व के पक्ष में किया गया था।उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका 19 अप्रैल, 2007 को खारिज कर दी गई थी।

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल नय्यर ने धन कर अधिनियम की धारा 21 एए के अधिनियमन के उद्देश्य का उल्लेख किया और फिर हमें धारा 21 एए के प्रावधानों के बारे में बताया। उनके अनुसार, इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा यह तय किया गया है कि कर कानून के संदर्भ में "व्यक्तियों का संगठन" केवल उन व्यक्तियों को संदर्भित करेगा जो एक सामान्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एकजुट होते हैं-सामान्य उद्देश्य आय पैदा करना और लाभ कमाना है।चूंकि यह स्पष्ट है कि वर्तमान क्लब एक सामाजिक क्लब है जहां सदस्य आय या लाभ कमाने के किसी भी व्यावसायिक या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए एक साथ नहीं जुड़ते हैं, इसलिए अनुभाग बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होता है।इसके अलावा, किसी भी मामले में, बिना किसी पूर्वाग्रह के तर्क के रूप में, यह स्पष्ट है कि संघ की आय या परिसंपत्तियों में उक्त संघ के सदस्यों के व्यक्तिगत शेयर धारा के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए अनिश्चित या अज्ञात होने चाहिए। 21 एए। वे हमें अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले और विशेष रूप से नियम 35 में यह तर्क देने के लिए ले गए कि चूंकि सभी सदस्यों को समाप्त करने पर सभी ऋणों और

देनदारियों के निपटारे के बाद बचे अधिशेष में समान हिस्सा मिलता है, इसलिए उनके शेयरों को अनिश्चित या अज्ञात नहीं कहा जा सकता है।इस उद्देश्य के लिए उन्होंने उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों का हवाला दिया।इसके बाद उन्होंने एक स्पष्टीकरण दिया जिसे आयकर अधिनियम की धारा 2 (31) में निहित "व्यक्ति" की परिभाषा में जोड़ा गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि 1 अप्रैल, 2002 को और उससे व्यक्तियों के एक संघ को ऐसे व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एकजुट हों।यह स्पष्टीकरण धन कर अधिनियम पर लागू नहीं होता है, और किसी भी मामले में, इस तथ्य को देखते हुए कि विचाराधीन निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल, 2002 से पहले के हैं, इस न्यायालय द्वारा व्यक्तियों के संघ पर कई निर्णयों में निर्धारित कानून सीधे लागू होगा।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

8. इन दलीलों का जवाब देने के लिए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री विक्रमजीत बनर्जी ने क्लब नियमों के नियम 35 का उल्लेख विद्वान और धारा 21 एए (2) पर बहुत अधिक भरोसा विद्वान ।श्री बनर्जी के अनुसार, उप-धारा (2) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां व्यक्तियों के संघ को भंग कर दिया जाता है, और नियम 35 को देखते हुए, यह धारा सीधे बैंगलोर क्लब पर लागू होगी।इसके बाद उन्होंने बैंगलोर क्लब बनाम सी. आई. टी. (2013) 5 एस. सी. सी. 509 में इस अदालत के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें आयकर उद्देश्यों के लिए बैंगलोर क्लब का मूल्यांकन व्यक्तियों के एक संघ के रूप में किया गया था।

जी.

एच.

497

मेसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

ए.

इस मामले में, यह नहीं हो सकता है कि आयकर उद्देश्यों के लिए, बैंगलोर क्लब को व्यक्तियों के एक संघ के रूप में माना जाता है, लेकिन धन कर उद्देश्यों के लिए, इसे ऐसा नहीं माना जा सकता है।फिर उन्होंने इस न्यायालय का उल्लेख किया

सी. डब्ल्यू. टी. बनाम एलिस ब्रिज जिमखाना (1998) 1 एस. सी. सी. 384 में निर्णय

उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय का समर्थन करने का आदेश, जो उनके अनुसार, चिकमंगलूर क्लब के मामले (ऊपर) का सही ढंग से पालन करता था, जो बदले में, केवल एलिस ब्रिज जिमखाना (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर था।उन्होंने यह भी कहा कि मूल्यांकन अधिकारी का यह निष्कर्ष कि सदस्यों के उतार-चढ़ाव वाले निकाय के शेयर अनिश्चित होंगे, सही है और इसलिए, इस आधार पर भी यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया जा सकता है।

बी.

सी.

9. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, पहले धारा 3 का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है, जो धन कर अधिनियम में आरोप लगाने वाली धारा है। धारा 3 (1) इस प्रकार बताती हैः

“3. धन-कर का प्रभार-(1) इस अधिनियम में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अप्रैल, 1957 के पहले दिन और उससे शुरू होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए, लेकिन अप्रैल, 1993 के पहले दिन से पहले, प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनी के अनुरूप मूल्यांकन तिथि पर अनुसूची-1 में निर्दिष्ट दर या दरों पर शुद्ध संपत्ति के संबंध में एक कर (जिसे इसके बाद धन-कर के रूप में संदर्भित किया गया है) लगाया जाएगा।

डी.

ई.

10. यह ध्यान दिया जाएगा कि धारा 3 के तहत केवल तीन प्रकार के व्यक्तियों का धन कर के रूप में निर्धारण किया जा सकता है अर्थात व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार और कंपनियाँ।यह स्पष्ट है कि यदि केवल धारा 3 (1) को देखा जाए, तो बैंगलोर क्लब को न तो एक व्यक्ति, न ही एक एचयूएफ, और न ही एक कंपनी को संभवतः इस प्रावधान के तहत धन कर के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

एफ.

11. 1981 के वित्त विधेयक द्वारा, धारा 21 ए. ए. को धन कर में धारा 21 ए. ए. की शुरूआत पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के रूप में प्रस्तुत किया गया थाः

“ 21.1 संपत्ति कर अधिनियम, 1957 के तहत, व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार कर योग्य निकाय हैं, लेकिन व्यक्तियों के एक संघ से उसकी शुद्ध संपत्ति पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाता है।जहाँ कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार व्यक्तियों के संघ का सदस्य है, वहाँ व्यक्तियों के संघ में ऐसे सदस्य के हित का मूल्य नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है और सदस्य की शुद्ध संपत्ति में शामिल किया जाता है।

जी.

21.2 ऐसे उदाहरण सरकार के संज्ञान में आए थे जहां कुछ कर निर्धारकों ने उचित कर देयता से बचने के लिए सदस्यों के शेयरों को विशेष रूप से परिभाषित किए बिना बड़ी संख्या में व्यक्तियों के संघों के निर्माण का सहारा लिया था।मौजूदा प्रावधानों के तहत, केवल संघ में सदस्य के हित का मूल्य जो निर्धारित किया जा सकता है, उसकी शुद्ध संपत्ति में शामिल किया जा सकता है।तदनुसार, जिस हद तक संघ में सदस्य के ब्याज का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है या अज्ञात है, ऐसे सदस्य द्वारा उसके संबंध में कोई संपत्ति कर देय नहीं है।

बी.

21.3 सदस्यों के शेयरों को परिभाषित किए बिना व्यक्तियों के कई संघों के माध्यम से कर से बचने के ऐसे प्रयासों का मुकाबला करने के लिए, वित्त अधिनियम ने धन कर अधिनियम में एक नई धारा 21-एए डाली है ताकि उन व्यक्तियों के संघों के मामले में मूल्यांकन का प्रावधान किया जा सके जो अपनी परिसंपत्तियों में सदस्यों के शेयरों को परिभाषित नहीं करते हैं।उप-धारा (1) में यह प्रावधान है कि जहां धन कर के लिए प्रभार्य परिसंपत्तियां व्यक्तियों के किसी संघ (किसी कंपनी या सहकारी समिति के अलावा) के पास होती हैं और आय में उक्त संघ के सदस्यों के व्यक्तिगत हिस्से या उसके गठन की तारीख को या उसके बाद किसी भी समय संघ की परिसंपत्तियां अनिश्चित या अज्ञात होती हैं, तो ऐसे संघ पर धन कर उसी तरह लगाया जाएगा और उससे उसी हद तक वसूल किया जाएगा जिस हद तक वह किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत का नागरिक है और भारत में निवासी है, अनुसूची-1 के भाग-1 में निर्दिष्ट दरों पर या 3 प्रतिशत की दर से वसूल करने योग्य है, जो भी पाठ्यक्रम राजस्व के लिए अधिक फायदेमंद हो।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

12. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, धारा 21 एए को 1 अप्रैल, 1981 से निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया थाः

“ 21 एए। जब परिसंपत्तियाँ कुछ लोगों के पास होती हैं तो मूल्यांकन

व्यक्तियों के संघ-(1) जहां इस अधिनियम के तहत कर के लिए प्रभार्य परिसंपत्तियां सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत कंपनी या सहकारी समिति या सोसायटी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के संघ द्वारा या भारत के किसी भी हिस्से में लागू उस अधिनियम के अनुरूप किसी कानून के तहत धारित हैं, और आय या परिसंपत्तियों में उक्त संघ के सदस्यों के व्यक्तिगत शेयर या उक्त संघ के गठन की तारीख या उसके बाद किसी भी समय दोनों अनिश्चित या अज्ञात हैं,

जी.

एच.

499

मेसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

धन-कर ऐसे संगम पर उसी रीति से और उसी सीमा तक अधिरोपित और वसूल किया जाएगा जिस सीमा तक वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत के नागरिक और भारत में निवासी व्यक्ति पर अधिरोपित और वसूल करने योग्य होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के संघ द्वारा संचालित कोई व्यवसाय या पेशा बंद कर दिया गया है या जहां व्यक्तियों का ऐसा संघ भंग कर दिया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी व्यक्तियों के संघ की शुद्ध संपत्ति का आकलन इस तरह करेगा जैसे कि ऐसा कोई विघटन या विघटन नहीं हुआ था और इस अधिनियम के सभी प्रावधान, जिसमें जुर्माना लगाने से संबंधित प्रावधान या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत प्रभार्य कोई अन्य राशि शामिल है, जहां तक हो सके, ऐसे मूल्यांकन पर लागू होंगे।

बी.

सी.

(3) उप-धारा (2) के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि निर्धारण अधिकारी या उपायुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों के किसी ऐसे संघ के संबंध में किसी भी कार्यवाही के दौरान, जैसा कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्तियों का संघ धारा 18 या धारा 18 ए में निर्दिष्ट किसी भी कार्य के लिए दोषी था, तो वह उक्त धाराओं के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगा सकता है या जुर्माना लगाने का निर्देश दे सकता है।(4) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे विघटन या विघटन के समय व्यक्तियों के संघ का सदस्य था, और ऐसे किसी व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि जो मृत है, कर, जुर्माना या अन्य देय राशि के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा, और इस अधिनियम

के सभी प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसे किसी निर्धारण या जुर्माना या अन्य राशि के अधिरोपण पर लागू होंगे।

डी.

ई.

एफ.

(5) जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू होने के बाद ऐसा विघटन या विघटन होता है, वहां उप-धारा (4) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही उस चरण से जारी रखी जा सकती है जिस पर कार्यवाही ऐसे विघटन या विघटन के समय थी और इस अधिनियम के सभी प्रावधान, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।"

जी.

13. यह देखा जा सकता है कि पहली बार 1 अप्रैल, 1981 से किसी कंपनी या सहकारी समिति के अलावा अन्य व्यक्तियों के संघ ने

एच.

जहां तक संपत्ति कर का संबंध इस बात से है कि आय या परिसंपत्तियों या दोनों में ऐसे संघ के सदस्यों के व्यक्तिगत शेयर, इसके गठन की तारीख को या उसके बाद किसी भी समय, अनिश्चित या अज्ञात होने चाहिए।इसके बाद ही खंड आकर्षित होता है।

14. पहला सवाल जो उठता है वह यह है कि धारा 21 एए में आने वाली "व्यक्तियों के संगठन" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। इस न्यायालय के एक प्रारंभिक निर्णय में जहां आयकर अधिनियम, 1922 में "व्यक्तियों का संगठन" शब्द आया था-एक संज्ञानात्मक कर क़ानून, इस न्यायालय ने सी. आई. टी. बनाम इंदिरा बालकृष्ण (ऊपर) में प्रश्न नं.3 इस प्रकार हैः

बी.

सी.

"(3) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों में न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करना सही था कि बालकृष्ण पुरुषोत्तम पुरानी की तीन विधवाओं पर व्यक्तियों के संगठन की स्थिति में किया गया मूल्यांकन कानूनी और कानूनी रूप से वैध है?"

15. "व्यक्तियों के संघ" और "व्यक्तियों के संघ" की बात करते हुए आयकर अधिनियम में किए गए संशोधनों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने आगे कहाः

डी.

" 8 ...व्यक्तियों के संघ का गठन क्या है, इस बारे में किसी भी परिभाषा के अभाव में, हमें शब्दों का उनके स्पष्ट सामान्य अर्थ में अर्थ निकालना चाहिए और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शब्द एक ऐसी धारा में आते हैं जो व्यक्तियों के संघ सहित उसमें उल्लिखित मूल्यांकन की इकाइयों में से प्रत्येक की कुल आय पर कर लगाती है।शब्दों को दिए जाने वाले अर्थ को उस संदर्भ से रंग लेना चाहिए जिसमें वे आते हैं।9. हमारे उद्देश्य के लिए तीन निर्णयों का उल्लेख करना पर्याप्त हैःपुनः बी. एन. एलियास [(1935) 3 आई. टी. आर. 408]; सी. आई. टी. बनाम लक्ष्मीदास देवीदास (1937)

ई.

एफ.

5 आई. टी. आर. 584] और पुनः।द्वारकनाथ हरिश्चंद्र

पिटाले [(1937) 5 आईटीआर 716]।बी. एन. एलियास डर्बीशायर में, सी. जे. ने सही ही बताया कि ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, "सहयोगी" शब्द का अर्थ है, "सामान्य उद्देश्य में शामिल होना, या किसी कार्य में शामिल होना।"इसलिए, व्यक्तियों का एक संघ वह होना चाहिए जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य या सामान्य कार्रवाई में शामिल होते हैं, और जैसा कि शब्द एक धारा में आते हैं जो आय पर कर लगाता है, संघ एक होना चाहिए जिसका उद्देश्य आय लाभ या लाभ उत्पन्न करना है।सी. आई. टी. बनाम लक्ष्मीदास देवीदास में सी. जे. ब्यूमोंट ने पी.589 और ए भी

जी.

एच.

501

मेसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

रे में। द्वारकनाथ हरिश्चंद्र पिटाले।री में।बीएन.

एलियास [(1935) III आई. टी. आर. 408] कॉस्टेलो, जे. ने परीक्षण को अधिक शक्तिशाली भाषा में रखा।उन्होंने कहाः"यह अच्छी तरह से हो सकता है कि विधायिका का इरादा उन व्यक्तियों के संयोजन को प्रभावित करना था जो किसी संयुक्त उद्यम में एक साथ लगे हुए थे लेकिन कानून में साझेदारी का गठन नहीं करते थे।जब हम पाते हैं।कि एक संयुक्त उद्यम को

बढ़ावा देने के लिए व्यक्तियों का एक संयोजन बनाया गया है।तब मुझे लगता है कि यह कहने में कोई कठिनाई पैदा नहीं होती है कि इन व्यक्तियों ने एक संघ का गठन किया था।”

बी.

10. हम समझते हैं कि उपरोक्त निर्णय आयकर अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के भीतर व्यक्तियों का संगठन क्या है, यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण को सही ढंग से निर्धारित करते हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों के बाद के कई निर्णयों में उन्हें स्वीकार किया गया है और उनका पालन किया गया है, जिन पर ध्यान देना अनावश्यक है।हालाँकि, यहाँ सावधानी के कुछ शब्द जोड़ना आवश्यक है।सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई सूत्र नहीं है कि कौन से तथ्य, उनमें से कितने और किस प्रकृति के हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक हैं कि धारा 3 के अर्थ के भीतर व्यक्तियों का एक संघ है; यह प्रत्येक मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करना चाहिए कि क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है या नहीं।”

सी.

डी.

16. इसी तरह, जी. मुरुगेसन एंड ब्रदर्स बनाम सी. आई. टी. 88 आई. टी. आर. 432

ई.

(1973), इस न्यायालय ने इंदिरा बालकृष्ण (ऊपर) को अनुमोदन के साथ संदर्भित किया और फिर निर्णय दिया:

“11. "व्यक्तियों का संघ" बनाने के लिए, संघ के सदस्यों को आय उत्पन्न करने के उद्देश्य से एक साथ जुड़ना चाहिए।"व्यक्तियों का संगठन" केवल तभी बनाया जा सकता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से एक निश्चित उद्देश्य के लिए एक साथ जुड़ते हैं।इसलिए संघ के सदस्य की ओर से इच्छा एक आवश्यक घटक है।यह सच है कि एक नाबालिग भी "एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स" में शामिल हो सकता है यदि उसका वैध अभिभावक अपनी सहमति देता है।शेयरों से लाभांश प्राप्त करने के मामले में, जहां किसी भी प्रबंधन का कोई सवाल ही नहीं है, यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि दो और शेयरधारकों ने "व्यक्तियों के संघ" के रूप में कार्य किया।केवल यह तथ्य कि वे संयुक्त रूप से एक या अधिक शेयरों के मालिक हैं, और संयुक्त रूप से लाभांश प्राप्त करते हैं, घोषित उन परिस्थितियों से यह नहीं पता चलता है कि उन्होंने "व्यक्तियों के संघ" के रूप में काम किया।“

एफ.

जी.

एच.

17. इन निर्णयों को मीरा एंड कंपनी बनाम में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है।सी. आई. टी. (1997) 4 एस. सी. सी. 677 (पैरा 19 और 20 देखें) और

रमनलाल भाईलाल पटेल बनाम गुजरात राज्य (2008) 5 एस. सी. सी. 449 (देखें)

अनुच्छेद 28)।इस स्तर पर पारित करते समय यह उल्लेख किया जा सकता है कि आयकर अधिनियम के तहत धारा 2 (31) में निहित "व्यक्ति" की परिभाषा में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, जिसके उपखंड (v) में "व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो" शामिल है।संशोधन द्वारा अंतःस्थापित स्पष्टीकरण, जो कि 1 अप्रैल, 2002 से लागू होता है, इस प्रकार हैः

बी.

“स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का एक निकाय या एक स्थानीय प्राधिकरण या एक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति को एक व्यक्ति माना जाएगा, चाहे वह व्यक्ति या निकाय या प्राधिकरण या न्यायिक व्यक्ति आय, लाभ या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित या स्थापित या निगमित किया गया था या नहीं। "

सी.

18. जाहिर है, इसलिए, 1 अप्रैल, 2002 के बाद, उपरोक्त निर्णयों के अनुपात को आयकर के संबंध में इस स्पष्टीकरण द्वारा पूर्ववत कर दिया गया है।

डी.

19. यह अच्छी तरह से तय है कि जब संसद ने धन कर अधिनियम की धारा 21 एए में "व्यक्तियों के संगठन" अभिव्यक्ति का उपयोग किया, तो यह जानना आवश्यक है कि यह अभिव्यक्ति एक संज्ञानात्मक संबद्ध कानून, अर्थात् आयकर अधिनियम में टिप्पणी का विषय थी, जो आय या लाभ अर्जित करने के लिए एक कराधान क़ानून के संदर्भ में एक व्यावसायिक उद्देश्य होने के नाते एक सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्तियों के एक साथ जुड़ने का उल्लेख करती है।निम्नलिखित निर्णयों में इस धारणा का सम्मानपूर्वक उल्लेख किया गया है।

ई.

एफ.

20. पी. वज्रवेलु मुदलियार बनाम विशेष उप-कलेक्टर

भूमि अधिग्रहण (1965) 1 एस. सी. आर. 614, इस न्यायालय को यह निर्णय लेना था कि क्या भारत के संविधान के चौथे संशोधन, जिसने संविधान के अनुच्छेद 31 (2) में संशोधन किया, ने इस बात में कोई बदलाव किया कि क्या मुआवजे का भुगतान अधिग्रहण के लिए भुगतान किए जाने वाले धन में न्यायसंगत समतुल्य होने के कारण न्यायसंगत समतुल्य बना रहा या कुछ कम।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "क्षतिपूर्ति" अभिव्यक्ति के रूप में, जैसा कि डब्ल्यू. बी. बनाम राज्य में व्याख्या की गई है।बेला बनर्जी 1954 एस. सी. आर. 558, चौथे संशोधन के बाद भी जारी रहा, भूमि अधिग्रहण के लिए धन के मामले में एक न्यायसंगत समकक्ष का भुगतान करना जारी रहेगा।न्यायालय ने कहाः

जी.

एच.

503

मेसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

ए.

“... संशोधन के बाद भी, मुआवजे का प्रावधान या मुआवजे का निर्धारण करने के लिए सिद्धांतों को निर्धारित करना अधिग्रहण या मांग का कानून बनाने के लिए एक शर्त है।एक विधायिका, यदि वह अनिवार्य अधिग्रहण या मांग के लिए एक कानून बनाने का इरादा रखती है, तो उसे मुआवजे के लिए प्रावधान करना चाहिए या मुआवजे का पता लगाने के लिए सिद्धांतों को निर्दिष्ट करना चाहिए।तथ्य यह है कि संसद ने संशोधन से पहले अनुच्छेद 31 में पाए गए "मुआवजे" और "सिद्धांतों" जैसे अभिव्यक्तियों का उपयोग किया था, यह एक स्पष्ट संकेत है कि उसने श्रीमती बेला बनर्जी मामले [(1954) एस. सी. आर. 558] में उन अभिव्यक्तियों के लिए इस न्यायालय द्वारा दिए गए अर्थ को स्वीकार किया।यह इस प्रकार है कि अधिग्रहण या मांग का कानून बनाने में एक विधायिका मालिक को जिस चीज़ से वंचित किया गया है, उसके न्यायसंगत समकक्ष का प्रावधान करेगी या मालिक को जिस चीज़ से वंचित किया गया है, उसके "न्यायसंगत समकक्ष" का पता लगाने के उद्देश्य से सिद्धांतों को निर्दिष्ट करेगी।यदि संसद का इरादा किसी विधायिका को इस तरह से परिभाषित मुआवजे का प्रावधान किए बिना ऐसा कानून बनाने में सक्षम बनाना है, तो उसने "मूल्य", "विचार" आदि जैसे अन्य अभिव्यक्तियों का उपयोग किया होगा। कानून पर क्रेज़ में, 6 वीं संस्करण, पी।167, निर्माण का प्रासंगिक सिद्धांत इस प्रकार बताया गया हैः

बी.

सी.

डी.

“निर्माण का एक सर्वविदित सिद्धांत है, कि जहां विधायिका ने किसी अधिनियम में एक कानूनी शब्द का उपयोग किया है जिसे न्यायिक व्याख्या प्राप्त हुई है, यह माना जाना चाहिए कि इस शब्द का उपयोग उस अर्थ में किया गया है जिसमें इसकी न्यायिक व्याख्या की गई है जब तक कि कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो।”

ई.

संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम से पहले अनुच्छेद 31 (2) में उक्त दो अभिव्यक्तियों को देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आधिकारिक व्याख्या प्राप्त हुई है और यह माना जाना चाहिए कि संसद का इरादा इस न्यायालय द्वारा दिए गए अर्थ से उक्त अभिव्यक्तियों से हटने का नहीं था।”

एफ.

(पृष्ठ पर। 626)

21. सकल दीप सहाय श्रीवास्तव बनाम भारत संघ (1974) 1

एस. सी. सी. 338, सीमा अधिनियम के संदर्भ में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:“8. हमारे सामने उठाए गए कुछ कठिनाइयों का एकमात्र सवाल यह है कि क्या 1908 के सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 102 या अनुच्छेद 120 मामले पर लागू होगा।श्री योगेश्वर प्रसाद के आकर्षक तर्कों को सुनने के बाद, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तर्क के पक्ष में एक अच्छा सौदा कहा जा सकता है कि यह वेतन के बकाया का दावा है।

जी.

एच.

मजदूरी के दावे से अलग है।लेकिन, हमारी कठिनाई यह है कि यह प्रश्न अब हमारे लिए नए सिरे से विचार के लिए खुला नहीं प्रतीत होता है, या किसी भी तरह से, इस न्यायालय के अधिकारियों की समीक्षा करने की सलाह नहीं दी जाती है, ऐसे समय के बाद जब इस न्यायालय द्वारा यह विचार किए जाने के बावजूद कि 1908 के सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 102 ऐसे मामलों में लागू था, 1963 के सीमा अधिनियम को 1908 के सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 102 और 120 में निहित कानून को दोहराते हुए पारित किया गया था, बिना किसी संशोधन के समान शब्दों में।विधानमंडल को इस न्यायालय के इस दृष्टिकोण से अवगत माना जाना चाहिए कि वेतन के बकाया के लिए हमारे सामने प्रकृति का दावा, 1908 के सीमा अधिनियम

के अनुच्छेद 102 के दायरे में आता है।यदि संसद, जिसे इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणाओं से अवगत माना जाता है, ने कानून में बदलाव नहीं किया है, तो यह माना जाना चाहिए कि उसने इस न्यायालय की व्याख्या को स्वीकार कर लिया है, भले ही इसकी शुद्धता संदेह के लिए खुली हो।यदि संदेह उत्पन्न हुए थे, तो इन संदेहों को दूर करना विधानमंडल का काम था।1908 के परिसीमा अधिनियम के निरसन और इस न्यायालय के निर्णयों के बाद 1963 के परिसीमा अधिनियम के अधिनियमन के बावजूद जब विधानमंडल ने ऐसा नहीं किया है, तो हम समझते हैं कि अपीलार्थी की ओर से की गई इस दलील को खारिज करना समीचीन और उचित है कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रश्न पर अपने निर्णयों में अब तक अपनाए गए दृष्टिकोण की शुद्धता की एक बड़ी पीठ द्वारा फिर से जांच की जानी चाहिए।"

बी.

सी.

डी.

ई.

22. इसी तरह, दीवान ब्रदर्स में।v. भारतीय केंद्रीय बैंक (1976)

3 एस. सी. सी. 800, इस न्यायालय ने प्रभु के प्रसिद्ध उक्ति का उल्लेख किया

बारास बनाम एबरडीन स्टीम ट्रैलिंग एंड फिशिंग में बकमास्टर

कंपनी 1933 ए. सी. 402 और निम्नानुसार आयोजित की गईः"22. उपरोक्त विचारों के अलावा, यह कानूनों की व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जहां विधानमंडल एक प्रसिद्ध कानूनी अर्थ वाली अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, तो यह माना जाना चाहिए कि उसने उक्त अभिव्यक्ति का उपयोग उस अर्थ में किया है जिसमें इसे इस तरह से समझा गया है।क़ानून कानून पर क्रेज़ निम्नानुसार अवलोकन करता हैः

एफ.

जी.

"निर्माण का एक सर्वविदित सिद्धांत है कि जहां विधायिका किसी अधिनियम में एक कानूनी शब्द का उपयोग करती है जिसे न्यायिक व्याख्या प्राप्त होती है, यह माना जाना चाहिए कि इस शब्द का उपयोग उस अर्थ में किया गया है जिसमें इसकी न्यायिक व्याख्या की गई है, जब तक कि कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो।"

एच.

मेसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

ए.

23. बारास बनाम एबरडीन स्टीम ट्रैलिंग एंड फिशिंग

कंपनी [1933 एसी 402,411] लॉर्ड बकमास्टर ने इस प्रकार बतायाः

“यह लंबे समय से संसद के अधिनियमों के विचार में लागू किया जाने वाला एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत रहा है कि जहां संदिग्ध अर्थ के एक शब्द को स्पष्ट न्यायिक व्याख्या मिली है, तो बाद के क़ानून में एक ही शब्द या एक ही वाक्यांश को समान संदर्भ में शामिल किया जाना चाहिए ताकि शब्द या वाक्यांश की व्याख्या उस अर्थ के अनुसार की जा सके जो पहले इसे दिया गया था।”

बी.

क्रेज़ आगे बताते हैं कि न्यायिक रूप से व्याख्या किए गए शब्दों के बारे में नियम प्रसिद्ध कानूनी अर्थ वाले शब्दों पर भी लागू होता है, भले ही वे न्यायिक व्याख्या का विषय नहीं रहे हों।इस प्रकार तत्काल मामले में इन सिद्धांतों को लागू करते हुए यह प्रतीत होता है कि जब न्यायालय शुल्क अधिनियम "डिक्री" शब्द का उपयोग करता है जिसका एक प्रसिद्ध कानूनी महत्व या अर्थ था, तो यह माना जाना चाहिए कि विधानमंडल ने इस शब्द का उपयोग उस अर्थ में किया है जिसमें इसे समझा गया है, अर्थात्, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किया गया है, भले ही इस बिंदु पर कोई स्पष्ट न्यायिक व्याख्या नहीं की गई हो।”

सी.

डी.

23. इस न्यायालय का एक हालिया निर्णय**,** श्री भगवती स्टील रोलिंग मिल्स बनाम सी**.** सी**.** ई**. (2016) 3** एस**.** सी**.** सी**. 643,** उसी धारणा को निम्नानुसार संदर्भित करता हैः

ई.

“21. यह तय किया गया कानून है कि संसद को कानून के बारे में तब पता होता है जब वह किसी विशेष कानून को लागू करती है।भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वर्ष 1988 में पारित किया गया था, जो कि 1969 के काफी समय बाद है जब रायल कार्पोरेशन में संविधान पीठ ने निर्णय दिया था।[रायलाकॉर्प।(पी) लिमिटेड बनाम।प्रवर्तन निदेशक, (1969) 2 एस. सी. सी. 412] को सौंप दिया गया था।इसलिए, यह माना जाता है कि संसद ने यह जानते हुए धारा 31 को अधिनियमित किया कि निर्णय रायल कॉर्प में है।[रायलाकॉर्प।(पी) लिमिटेड बनाम।प्रवर्तन निदेशक, (1969) 2 एस. सी. सी. 412] ने कहा था कि एक चूक निरसन के बराबर नहीं होगी और इसी कारण से धारा 31 अधिनियमित की गई थी।यह फिर से हमें रायल कॉर्प में

कानून के इस कथन के रूप में आगे नहीं ले जाता है।[रायलाकॉर्प।(पी) लिमिटेड बनाम।प्रवर्तन निदेशक, (1969) 2 एस. सी. सी. 412] अब फाइबर बोर्ड मामले में निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून नहीं है [फाइबर बोर्ड (पी)]

एफ.

जी.

एच.

लिमिटेड वी.सी. आई. टी. (2015) 10 एस. सी. सी. 333]।इसलिए यह कारण फिर से अपीलार्थी का लाभ नहीं उठा सकता है।"

24. इस मामले को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि धन कर अधिनियम की धारा 21 एए को आकर्षित करने वाले व्यक्तियों का एक संघ बनने के लिए, यह आवश्यक है कि व्यक्ति आय या लाभ अर्जित करने के लिए किसी व्यवसाय या वाणिज्यिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एकजुट हों।अनुमान सेक की भाषा से मजबूत होता है। 21 ए. ए. (2), जो व्यक्तियों के एक संघ द्वारा चलाए जाने वाले व्यवसाय या पेशे की बात करता है जो तब बंद हो जाता है या भंग हो जाता है। इसलिए प्रावधान का जोर उन व्यक्तियों के संघों को शामिल करना है जिनका सामान्य उद्देश्य एक व्यवसाय या व्यावसायिक उद्देश्य है, अर्थात् आय या लाभ अर्जित करना।बैंगलोर क्लब एक सामाजिक क्लब होने के नाते, जिसके उद्देश्यों को इस मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा संदर्भित किया गया है, यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति एक साथ जुड़े हुए हैं, वे आय या लाभ कमाने के लिए किसी भी व्यावसायिक उद्देश्य या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए एक साथ नहीं जुड़ते हैं।वास्तव में, इस तरह की प्रकृति

बी.

सी.

क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम बॉम्बे लेबर में क्लब स्थापित किए गए हैं।

संघ (1969) 1 एस. सी. आर. 600 निम्नानुसार हैः"हमें जो देखना है वह वास्तव में और सार में गतिविधि की प्रकृति है।हालांकि क्लब को एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन यह व्यवसाय करने के उद्देश्य से गठित एक सामान्य कंपनी की तरह नहीं है।कोई शेयरधारक नहीं हैं।लाभांश की घोषणा कभी नहीं की जाती है और न ही लाभ का वितरण किया जाता है।क्लब में प्रवेश प्रवेश शुल्क के भुगतान से होता है न कि शेयरों की खरीद से।यहां तक कि

यह स्वीकारोक्ति भी मतदान के अधीन है।सदस्यता शेयरधारकों के अधिकार की तरह हस्तांतरणीय नहीं है।एक सदस्य को कुछ परिस्थितियों में निष्कासित करने का प्रावधान है जो एक सीमित कंपनी में शेयर धारक के मामले में कभी भी मौजूद नहीं है।सदस्यता तरल है।एक व्यक्ति तब तक अधिकार रखता है जब तक वह एक सदस्य के रूप में बना रहता है और जब वह सदस्य नहीं रह जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, भले ही उसने प्रवेश शुल्क के रूप में बड़ी राशि का भुगतान किया हो।वह निष्कासन पर अपना अधिकार भी खो देता है।इन परिस्थितियों में, यह स्पष्ट है कि क्लब को व्यवसाय करने वाली सीमित कंपनी की प्रकृति की एक अलग कानूनी इकाई के रूप में नहीं माना जा सकता है।वास्तव में, क्लब बिना किसी शेयरधारक के एक सदस्य क्लब बना हुआ है और इसके परिणामस्वरूप, सदस्यों के लिए क्लब में प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को एक स्व-सेवारत संस्थान की गतिविधियों के रूप में माना जाना चाहिए।"

डी.

ई.

एफ.

जी.

(पृष्ठ पर। 614)

एच.

507

मेसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

ए.

इस निर्णय को हाल ही में राज्य में अनुमोदन के साथ भेजा गया है।

पश्चिम बंगाल बनाम कलकत्ता क्लब लिमिटेड (2019) 13 स्केल 474

अनुच्छेद 28. 25.इस स्तर पर, सी. डब्ल्यू. टी. बनाम एलिस ब्रिज जिमखाना, (ऊपर) का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है।इस मामले में, बैंगलोर क्लब की तरह एलिस ब्रिज जिमखाना भी एक गैर-निगमित क्लब है।इस मामले में शामिल मूल्यांकन वर्ष 1970-71 से 1977-78 यानी धारा 21AA के लागू होने से पहले के हैं।इस तथ्य के बावजूद कि धारा 21 एए लागू नहीं हुई, इस न्यायालय ने धारा 21 एए को निम्नानुसार संदर्भित कियाः

बी.

“15. इन सभी प्रावधानों से पता चलता है कि धन कर अधिनियम का मसौदा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की तर्ज पर तैयार किया गया है।धन कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के संबंधित प्रावधानों के बीच शब्दों में बहुत समानता है।लेकिन धन कर अधिनियम की धारा 3 के आरोप लगाने के मामले में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 3 के आरोप लगाने के वाक्यांश को अपनाया नहीं गया है।आयकर अधिनियम की धारा 3 के विपरीत, धन कर अधिनियम की धारा 3 में किसी फर्म या व्यक्तियों के संगठन या व्यक्तियों के निकाय का निर्धारण की कर योग्य इकाइयों के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है।

सी.

डी.

16. संपत्ति कर अधिनियम में ही धारा 21-एए को शामिल करके स्थिति को संदेह से परे रखा गया है।यह संशोधन वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा 1-4-1981 से प्रभावी किया गया था।यह कुछ विशेष मामलों में व्यक्तियों के संघ के मूल्यांकन का प्रावधान करता है और अन्यथा नहीं।”

ई.

इसके बाद न्यायालय ने कहाः

“17. यह देखा जाएगा कि व्यक्तियों के संघ के रूप में मूल्यांकन केवल तभी किया जा सकता है जब आय या परिसंपत्तियों में संघ के सदस्यों के व्यक्तिगत शेयर या इसके गठन की तारीख या उसके बाद किसी भी समय संघ के दोनों शेयर अनिश्चित या अज्ञात हों।यह केवल ऐसी स्थिति में है कि व्यक्तियों के संघ पर मूल्यांकन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं।धारा 21-एए की उप-धारा (2) ऐसे संघों के मामलों से संबंधित है जैसा कि उप-धारा (1) में उल्लिखित है।इसका मतलब है कि केवल उन व्यक्तियों के संघ को धन कर के अधीन किया जा सकता है जिसमें सदस्यों के व्यक्तिगत शेयर अज्ञात या अनिश्चित थे।उप-धारा (3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के संघ से भी संबंधित है।उप-धारा (4) और (5) कुछ परिणामों से संबंधित हैं जो

एफ.

जी.

एच.

विघटन या विघटन के मामले में उप-धारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों के संघ के सदस्यों का अनुसरण करेगा।

XXX XXXXX

19. हमारे विचार में, धारा 21-ए. ए. राजस्व के मामले में मदद करने के बजाय सीधे उसके विवाद के खिलाफ जाती है।अधिनियम की धारा 3 के तहत व्यक्तियों के संघ पर बिल्कुल भी कर नहीं लगाया जा सकता है। यही कारण है कि वित्त अधिनियम, 1981 द्वारा एक संशोधन किया जाना आवश्यक था, जिसके तहत व्यक्तियों के एक संघ की शुद्ध संपत्ति पर कर लगाने के लिए धारा 21-एए को जोड़ा गया था, जहां संघ के सदस्यों के व्यक्तिगत शेयर अज्ञात या अनिश्चित थे।"

बी.

सी.

पैराग्राफ 32 में धारा 21 एए को पेश करने वाले व्याख्यात्मक टिप्पणियों का उल्लेख करने के बाद, न्यायालय ने आगे कहाः

"33. इस अधिसूचना से यह प्रतीत होता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्पष्ट रूप से माना है कि संपत्ति कर का प्रभार व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों पर था, न कि व्यक्तियों के किसी अन्य निकाय या व्यक्तियों के संघ पर।कर चोरी को रोकने के लिए धारा 21-एए लागू की गई है।एक सामान्य मामले में, एक व्यक्ति के मूल्यांकन में, हर स्रोत से उसकी संपत्ति को जोड़ा जाएगा और संपत्ति कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की जाएगी ताकि शुद्ध संपत्ति पर पहुंचा जा सके जिस पर कर लगाया जाना है।इसलिए, यदि किसी व्यक्ति की किसी फर्म या किसी अन्य गैर-निगमित निकाय में कोई रुचि है, तो उन निकायों या संघों में उसकी रुचि उसकी संपत्ति में जुड़ जाएगी।यह केवल तभी संभव है जब इस तरह का जोड़ संभव नहीं है क्योंकि किसी निकाय धारक संपत्ति में व्यक्ति के शेयर अज्ञात या अनिश्चित हैं, रिसॉर्ट को धारा 21-एए में ले जाया जाएगा और व्यक्तियों के संघ पर व्यक्तियों के संघ के रूप में कर लगाया जाएगा।"

डी.

ई.

एफ.

26. इस फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि कर चोरी को रोकने के लिए धारा 21 एए लागू की गई है।इसे लागू करने का कारण यह नहीं था कि व्यक्तियों को "एक और कर योग्य व्यक्ति" के रूप में जोड़ा जाए, जिन पर यह अधिनियम लागू होगा।इसका उद्देश्य कुछ ऐसे कर निर्धारकों को शामिल करना था जिन्होंने कर से बचने के लिए ऐसे व्यक्तियों के संघों के सदस्यों

के शेयरों को विशेष रूप से परिभाषित किए बिना बड़ी संख्या में व्यक्तियों के संघ बनाने का सहारा लिया है।धारा 21 ए. ए. के अर्थ में, इस उद्देश्य को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।

जी.

एच.

509

मैसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

ए.

27. के. पी. वर्गीज बनाम आई. टी. ओ., 1982 (1) एस. सी. आर. 629 में, उच्चतम न्यायालय के समक्ष व्याख्या के लिए जो उत्पन्न हुआ वह पूंजीगत लाभ के संदर्भ में था-कि क्या, आयकर अधिनियम की Sec.52 (2) की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए, विचार की अल्पता एक पूर्व शर्त है।Sec.52 (2) के विशुद्ध रूप से शाब्दिक पठन पर, यह स्पष्ट होगा कि ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया है।तथापि, इस न्यायालय ने धारा के उद्देश्य का उल्लेख करने के बाद अभिनिर्धारित किया:

बी.

"इस प्रकार यह उप-धारा (2) की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि हस्तांतरण की तारीख को निर्धारिती द्वारा हस्तांतरित पूंजी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य हस्तांतरण के संबंध में घोषित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य से इस प्रकार घोषित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम नहीं है, लेकिन इसके अलावा यह आवश्यक है कि हस्तांतरण के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य कम किया जाए या दूसरे शब्दों में, निर्धारिती द्वारा वास्तव में प्राप्त किए गए मूल्य से कम आंकड़े पर दिखाया जाए।उप-धारा (2) का किसी ईमानदार और प्रामाणिक लेन-देन के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है जहां हस्तांतरण के संबंध में प्रतिफल को निर्धारिती द्वारा सही ढंग से घोषित या प्रकट किया गया है, भले ही हस्तांतरण की तारीख को पूंजी संपत्ति के उचित बाजार मूल्य और निर्धारिती द्वारा घोषित प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के बीच 15 प्रतिशत के अंतर की शर्त पूरी हो।"

सी.

डी.

(पृष्ठ पर। 652, 653) 28.बैंगलोर क्लब व्यक्तियों का एक संघ है, न कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो अन्यथा मूल्यांकन योग्य है, सदस्यों के शेयरों को परिभाषित किए बिना बड़ी संख्या में व्यक्तियों के संघों में से एक का निर्माण है ताकि कर देयता से बचा जा सके।इन सभी कारणों से,

यह स्पष्ट है कि संपत्ति कर अधिनियम की धारा 21 एए वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं होती है।

ई.

एफ.

29. हालाँकि, उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय पूरी तरह से सी. डब्ल्यू. टी. बनाम चिकमगलूर क्लब (ऊपर) पर निर्भर करता है।यह मामला कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक क्लब से संबंधित था।इस मामले में तथ्यों पर अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों को प्रचुर मात्रा में संदर्भित करने के बाद, न्यायालय ने आगे कहाः"10. ... कई उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों ने इस सवाल पर अलग-अलग विचार रखे हैं कि क्या कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक क्लब धन कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर के लिए उपयुक्त है, लेकिन हमारे विचार में,

जी.

एच.

वर्तमान में, इस मुद्दे को अब धन कर आयुक्त बनाम एलिस ब्रिज जिमखाना [229 आई. टी. आर. 1] के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से सुलझा लिया गया है।— जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 'व्यक्तियों के संघ के रूप में निर्धारण वर्षों 1970-1971 से 1977-1978 में क्लब धन कर के लिए आकलन योग्य नहीं है' और ऐसा कहते हुए, न्यायालय ने कहा है कि 'संपत्ति कर अधिनियम में ही धारा 21AA को शामिल करके स्थिति को संदेह से परे रखा गया है।"

बी.

इस उद्देश्य के लिए**,** एलिस ब्रिज जिमखाना मामले **(**उपरोक्त**)** में पहले से निकाले गए अनुच्छेद **17** को उक्त निर्णय द्वारा संदर्भित किया गया था।पैराग्राफ **17** का उल्लेख करने के बाद**,** न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

सी.

"13. ... अब जब ऐलीज़ ब्रिज जिमखाना क्लब के मामले-229 आई. टी. आर. 1 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 21 ए. ए. के दायरे को समझाया गया है, तो हमें उक्त धारा

के दायरे और व्याख्या पर अधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।यह ध्यान रखना पर्याप्त होगा कि व्यक्तियों के संघ के रूप में निर्धारण केवल तभी किया जा सकता है जब आय या परिसंपत्तियों में संघ के सदस्यों के व्यक्तिगत शेयर या इसके गठन की तारीख पर या उसके बाद किसी भी समय संघ के दोनों शेयर अनिश्चित या अज्ञात हों, धन कर के अधीन हो सकते हैं। वर्तमान मामले में, निर्धारिती कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक क्लब है और उसने 'शून्य' संपत्ति घोषित की थी और दावा किया था कि यह धन कर अधिनियम के प्रावधान के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, क्योंकि यह केवल अपने सदस्यों को मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों का एक संघ है।हमारे विचार में, इस दावे को निर्धारण प्राधिकरण के साथ-साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकरण दोनों द्वारा इस आधार पर सही ढंग से खारिज कर दिया गया है कि निर्धारिती व्यक्तियों का एक संघ है और सदस्य परिसंपत्तियों के मालिकों में सदस्यों की परिसंपत्तियों और व्यक्तिगत शेयरों के मालिक हैं और आय या परिसंपत्तियों में सदस्यों के व्यक्तिगत शेयर या गठन की तारीख पर या उसके बाद किसी भी समय या अनिश्चित या अज्ञात दोनों संघों के सदस्य हैं और तदनुसार, निर्धारिती को धन कर के अधीन कर दिया है।"

डी.

ई.

एफ.

जी.

30. ध्यान देने वाली बात यह है कि चिकमंगलूर क्लब **(**उपरोक्त**)** में उच्च न्यायालय ने केवल अनुच्छेद **17** का उल्लेख किया और पैरा का उल्लेख करने से हटा दिया।

19, 32 और एलिस ब्रिज जिमखाना निर्णय (ऊपर) का 33 जो

यहाँ ऊपर हमारे द्वारा संदर्भित किया गया है।यदि इन सभी अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया होता, तो जो स्पष्ट होता वह यह है कि एक सामाजिक क्लब ए

एच.

511

मेसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

जैसे कि चिकमंगलूर क्लब को संभवतः व्यक्तियों का एक संघ नहीं कहा जा सकता है जो धारा 21 एए को लागू करके प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को मानता है, जो कर चोरी को रोकने के लिए अधिनियमित एक धारा है।जैसा कि हमने ऊपर बताया है, इस धारा को कर योग्य व्यक्तियों

की श्रेणी में एक और श्रेणी जोड़ने के लिए पेश नहीं किया गया था-जो कि धन कर अधिनियम की धारा 3 (1) में संशोधन करके किया जा सकता था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय का निर्णय इंदिरा बालकृष्ण के मामले (उपरोक्त) से शुरू होने वाले फैसलों की पंक्ति से पूरी तरह से अनजान है, जिसके द्वारा "व्यक्तियों के संगठन" का अर्थ उन व्यक्तियों से होना चाहिए जो एक सामान्य उद्देश्य के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं-और, एक कराधान क़ानून के संदर्भ में, सामान्य उद्देश्य एक व्यावसायिक उद्देश्य आय या लाभ अर्जित करना है।यह निर्णय इंदिरा बालकृष्ण (ऊपर) और उसके बाद के निर्णयों का उल्लेख बिल्कुल नहीं करता है।इन सब के लिए

बी.

सी.

कारण, सी. डब्ल्यू. टी. बनाम चिकमगलूर क्लब (ऊपर) में निर्णय नहीं हो रहा है

सही ढंग से तय किया गया, खारिज कर दिया गया।समान रूप से, उच्च न्यायालय का निर्णय जो पूरी तरह से चिकमंगलूर क्लब के मामले (उपरोक्त) में निर्णय पर आधारित है, उसके पास खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है।

डी.

31. अब हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बनर्जी द्वारा उठाए गए कुछ बिंदुओं पर आते हैं।यह निवेदन कि धारा 21 एए (2) जो व्यक्तियों के एक संघ के विघटन से संबंधित है और यह तथ्य कि बैंगलोर क्लब के नियम 35 के तहत विघटन पर सदस्यों को समान हिस्सा मिलता है, पहले यह दर्शाता है कि बैंगलोर क्लब व्यक्तियों का एक संघ है और दूसरा, कि इसकी आय और संपत्ति में सदस्य का हिस्सा अनिश्चित या अज्ञात है, एक तर्क है जिसे खारिज किया जाना चाहिए।सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उप-धारा (2) व्यक्तियों के एक संघ द्वारा "किसी भी व्यवसाय या पेशे को चलाने" के शब्दों से शुरू होती है।सामाजिक सदस्य क्लब द्वारा कोई व्यवसाय या पेशा नहीं चलाया जाता है।इसके अलावा, उप-धारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों का संघ ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने लाभ अर्जित करने के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए एकजुट हुए हैं और यदि ऐसा नहीं है, तो उप-धारा (2) संभवतः लागू नहीं हो सकती है।जहाँ तक नियम 35 का संबंध है, फिर से जो स्पष्ट है वह यह है कि परिसमापन पर, क्लब के सभी ऋणों और देनदारियों के निर्वहन के बाद बची हुई किसी भी अधिशेष संपत्ति को क्लब के सभी श्रेणियों के सदस्यों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा।इससे पता चलता है कि धारा 21 एए (1) के अर्थ के भीतर "उसके बाद किसी भी समय", सदस्यों के शेयरों का निर्धारण किया जाता है कि परिसमापन पर किसी भी श्रेणी के प्रत्येक सदस्य को समान हिस्सा मिलता है।

ई.

एफ.

जी.

32. जहाँ तक इस पहलू का संबंध है, श्री निखिल नैय्यर द्वारा उद्धृत निर्णयों की कोई प्रत्यक्ष प्रासंगिकता नहीं है।सी. डब्ल्यू. टी. बनाम में निर्णय।

एच.

512 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 13 एस. सी. आर.

रामा वर्मा क्लब 226 आईटीआर 898 और सीडब्ल्यूटी बनाम जॉर्ज क्लब 191 आईटीआर

368 ये दोनों निर्णय हैं जिनमें परिसंपत्तियों का कोई भी हिस्सा इन क्लबों के किसी भी सदस्य को परिसमापन पर भी वितरित नहीं किया जाना है।इस प्रकार, इन मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सदस्यों का क्लब की आय या संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है।इस मामले के तथ्यों में ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि नियम 35 के तहत बैंगलोर क्लब के सदस्य नियम 35 में बताई गई परिस्थितियों में अधिशेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार हैं-समान रूप से परिसमापन पर।हालाँकि, परिणाम वही रहता है-अर्थात।, कि भले ही यह माना जाए कि बैंगलोर क्लब व्यक्तियों का एक संघ है, सदस्यों के शेयरों का निर्धारित होना धारा 21 एए को आकर्षित नहीं करता है। 33.श्री बनर्जी ने तब बैंगलोर क्लब बनाम सी. आई. टी. (2013) 5 एस. सी. सी. 509 के फैसले पर भरोसा किया ताकि यह इंगित किया जा सके कि बैंगलोर क्लब पर आयकर अधिनियम के तहत ए. ओ. पी. के रूप में कर लगाया गया था और इसलिए धन कर अधिनियम (एक संबद्ध और संज्ञानात्मक अधिनियम) के तहत दायित्व से बच नहीं सकते हैं और न ही उन्हें बचना चाहिए।सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आयकर अधिनियम की धारा 2 (31) में "व्यक्ति" की परिभाषा व्यक्तियों के एक संघ और व्यक्तियों के एक निकाय दोनों को शामिल करेगी।आयकर के उद्देश्यों के लिए, बैंगलोर क्लब को शायद 'व्यक्तियों का निकाय' माना जा सकता है जो 'व्यक्तियों के संगठन' की तुलना में एक व्यापक अभिव्यक्ति है जिसमें व्यक्तियों के ऐसे निकाय का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें उन व्यक्तियों का संयोजन शामिल होगा जिनके पास हितों की एकता के अलावा और कुछ नहीं था।यह अंतर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है

बी.

सी.

डी.

ई.

पृष्ठ 116 पर डेक्कन वाइन एंड जनरल स्टोर्स बनाम सी. आई. टी. 106 आई. टी. आर. 111,

117. इसके अलावा, आयकर अधिनियम के तहत व्यक्तियों के एक संघ के रूप में कर लगाया जाना है, जिस पर व्यक्तियों के एक संघ के रूप में कर लगाया जाना है।हम पहले ही देख चुके हैं

कि धारा 21 ए. ए. कर दाताओं के क्षेत्र का विस्तार नहीं करती है, बल्कि केवल चोरी को रोकती है क्योंकि व्यक्तियों का संगठन उन सदस्यों के साथ बनाया जाना चाहिए जिनके पास इसकी आय या संपत्ति में अनिश्चित हिस्सेदारी है।इन सभी कारणों से, हम श्री बनर्जी के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आयकर अधिनियम के तहत व्यक्तियों के एक संघ के रूप में कर लगाया जाने के कारण, बैंगलोर क्लब को आयकर अधिनियम में शुल्क लगाने के प्रावधान के विपरीत धन कर अधिनियम में कर चोरी के प्रावधान के उद्देश्य से 'व्यक्तियों का संघ' माना जाना चाहिए। श्री बनर्जी के एक अंतिम तर्क को संबोधित करने की आवश्यकता है।विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार, यह तथ्य कि क्लब की सदस्यता व्यक्तियों का एक उतार-चढ़ाव वाला निकाय है, आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि परिसंपत्तियों में सदस्यों के शेयर या क्लब की आय

एफ.

जी.

अनिश्चित होगा।सी. डब्ल्यू. टी. बनाम एच. ई. एच. निज़ाम के न्यासी

परिवार **108** आई**.** टी**.** आर**. 555 (1977),** इस न्यायालय को एस**.** ए के **21**

एच.

513

मेसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

धन कर अधिनियम। सेक. 21 (1) और (4) जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, नीचे दिए गए हैं:

“21. (1) इस अधिनियम के तहत कर के लिए प्रभार्य परिसंपत्तियों के मामले में, जो वार्ड की न्यायालय या एक प्रशासक-जनरल या एक आधिकारिक ट्रस्टी या किसी रिसीवर या मैनेजर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए न्यायालय के किसी भी आदेश के तहत नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति या लिखित रूप में विधिवत निष्पादित लिखत द्वारा घोषित किसी ट्रस्ट के तहत नियुक्त किसी भी ट्रस्टी, चाहे वसीयतनामा हो या अन्यथा (वक्फ के वैध विलेख के तहत ट्रस्टी सहित), संपत्ति-कर वार्ड, प्रशासक-जनरल, आधिकारिक ट्रस्टी, रिसीवर, मैनेजर या ट्रस्टी की न्यायालय से, जैसा भी मामला हो, उसी तरीके से और उसी हद तक लगाया जाएगा और उस व्यक्ति से वसूल किया जा सकता है जो उस व्यक्ति पर वसूल किया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

XXX XXXXX

(4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, जहां उन व्यक्तियों के शेयर जिनकी ओर से या जिनके लाभ के लिए कोई ऐसी संपत्ति रखी गई है, अनिश्चित या अज्ञात हैं, वहां धन-कर वार्ड, प्रशासक-जनरल, आधिकारिक ट्रस्टी, रिसीवर, मैनेजर या अन्य व्यक्ति के न्यायालय से लगाया जाएगा और वसूल किया जाएगा, जैसे कि वह व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके लाभ के लिए संपत्ति रखी गई है, वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति था।

ई.

34. इस मामले में यह तर्क दिया गया था कि निजाम के पारिवारिक न्यास के सदस्य, जो इसके लाभार्थी हैं, व्यक्तियों का एक उतार-चढ़ाव वाला निकाय होगा, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों को अनिश्चित कहा जाना चाहिए। अधिनियम की धारा 21 (4) लागू होगी न कि धारा। 21 (1)।यह कहते हुए इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया थाः

एफ.

“यह तुरंत हमें इस सवाल की ओर ले जाता है कि धारा 21 की दो उप-धाराओं में से कौन सी, (1) या (4), दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट रिश्तेदारों को आवंटित इकाई या इकाइयों के प्रत्येक समूह के शेष हिस्से में लाभकारी ब्याज के संबंध में संपत्ति कर के लिए निर्धारिती का आकलन करने के उद्देश्य से लागू होती है।अब धारा 3 की भाषा से यह स्पष्ट है कि संपत्ति कर का प्रभार सुसंगत मूल्यांकन तिथि पर शुद्ध संपत्ति के संबंध में है, और,

जी.

एच.

इसलिए, धारा 21 की उप-धारा (1) या (4) के लागू होने के संबंध में प्रश्न का निर्धारण सुसंगत मूल्यांकन तिथि के संदर्भ में किया जाना चाहिए।धन कर अधिकारी को यह निर्धारित करना होता है कि शेष राशि के संबंध में संबंधित तिथि पर कौन लाभार्थी हैं और क्या उनके शेयर अनिश्चित हैं या अज्ञात हैं।यह बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है कि क्या भविष्य में आने वाली आकस्मिकताओं के आधार पर लाभार्थी वितरण की तारीख से पहले आने वाले वर्षों में बदल

सकते हैं।जब तक प्रासंगिक मूल्यांकन तिथि पर यह कहना संभव है कि लाभार्थी ज्ञात हैं और उनके शेयर निर्धारित हैं, तब तक यह संभावना कि लाभार्थी जन्म या मृत्यु जैसी बाद की घटनाओं के कारण बदल सकते हैं, मामले को धारा 21 की उप-धारा (1) के दायरे से बाहर नहीं ले जाएगी।यह कहने के लिए धारा 21 की उप-धारा (1) की प्रयोज्यता का कोई जवाब नहीं है कि लाभार्थी अनिश्चित और अज्ञात हैं क्योंकि यह भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि जीवन ब्याज के मालिक की मृत्यु पर शेष राशि के संबंध में कौन लाभार्थी होगा।प्रासंगिक मूल्यांकन तिथि पर स्थिति को इस तरह देखा जाना चाहिए जैसे कि पूर्ववर्ती जीवन ब्याज उस तारीख को समाप्त हो गया था और यदि, उस परिकल्पना पर, यह निर्धारित करना संभव है कि वास्तव में कौन लाभार्थी होगा और किन निर्धारित शेयरों पर, धारा 21 की उप-धारा (1) लागू होनी चाहिए और यह कोई परिणाम नहीं होगा कि कुछ लाभार्थियों के अस्तित्व में न आने या कुछ नए लाभार्थियों के अस्तित्व में आने के कारण भविष्य में लाभार्थियों की संख्या में बदलाव हो सकता है।यह न केवल हमें धारा 21 की उप-धारा (1) के अनुप्रयोग में सही दृष्टिकोण प्रतीत होता है, बल्कि हम पाते हैं कि पिछले लगभग तीस वर्षों के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में इस देश में न्यायिक राय की सामान्य सहमति भी रही है।पहला निर्णय जिसमें यह विचार लिया गया था, वह 1945 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा खान बहादुर एम. हबीबुर रहमान बनाम सी. आई. टी. [(1945) 13 आई. टी. आर. 189 (पैट)] मामले में दिया गया था और तब से, इस विचार का पालन कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सुहासिनी करूरी बनाम डब्ल्यू. टी. ओ. [(1962) 46 आई. टी. आर. 953 (कैल)] बॉम्बे उच्च न्यायालय में किया गया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

पुतलीबाई आर. एफ. मुल्ला ट्रस्ट बनाम सी. डब्ल्यू. टी. [(1967) 66 आई. टी. आर. 653,657-8 (बोम)] और सी. डब्ल्यू. टी. बनाम श्रीमती हंसाबाई के न्यासियों के मामले में।

त्रिभुवनदास ट्रस्ट [(1967) 69 आई. टी. आर. 527 (बोम)] और गुजरात

उच्च न्यायालय ने पद्मावती जयकृष्ण न्यास बनाम सी. आई. टी. [(1966) 61 आई. टी. आर. ए.

एच.

मेसर्स बैंगलोर क्लब बनाम द कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स एंड ए. एन. आर. [आर. एफ. नरीमन, जे.] ए.

66, 73-4 (गुज)]।कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सुहासिनी में बताया

करूरी मामलाः

“एक लाभार्थी के हिस्से को अनिश्चित कहा जा सकता है यदि प्रासंगिक समय पर हिस्से का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल इसलिए कि लाभार्थियों की संख्या समय-समय पर भिन्न होती है, कोई यह नहीं कह सकता है कि यह अनिश्चित है।”

बी.

एक ही प्रस्ताव को थोड़ी अलग भाषा में तैयार किया गया था

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पुतालीबाई आर. एफ. मुल्ला के न्यासियों में

न्यास मामला [(1967) 66 आई. टी. आर. 653,657-8 (बम)]:

“यह प्रश्न कि क्या लाभार्थियों के शेयर निर्धारित हैं या ज्ञात हैं, कराधान के प्रत्येक संबंधित वर्ष में प्रासंगिक तिथि पर आंका जाना चाहिए।इसलिए, भविष्य की किसी भी तिथि के बारे में जो भी स्थिति हो, जहां तक प्रत्येक वर्ष की प्रासंगिक तिथि का संबंध है, यह न्यास विलेख की शर्तों पर निर्धारित करना हमेशा संभव है कि क्रमशः हिस्सेदार कौन हैं और उनके शेयर क्या हैं।”

सी.

डी.

गुजरात उच्च न्यायालय ने पद्मावती जयकृष्ण ट्रस्ट मामले में भी टिप्पणी की [(1966) 61 आईटीआर 66,73-4 (गुजरात)]:

“.....यह पता लगाने के लिए कि लाभार्थियों के शेयर और उनकी संख्या निर्धारित की गई थी या नहीं, धन कर अधिकारी को तथ्यों का पता लगाना होगा क्योंकि वे प्रासंगिक तिथि पर मौजूद थे और इसलिए भविष्य में लाभार्थियों की संख्या में कोई भी बदलाव मायने नहीं रखेगा और धारा 21 की उप-धारा (4) को लागू नहीं करेगा।”

ई.

ये टिप्पणियां कानून के सही कथन का प्रतिनिधित्व करती हैं और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 21 की उप-धारा (1) की प्रयोज्यता को निर्धारित करने के लिए, यह देखना होगा कि क्या प्रासंगिक मूल्यांकन तिथि पर, यह निश्चितता और निश्चितता के साथ कहना संभव है कि लाभार्थी कौन होंगे और क्या उनके शेयर निर्धारित और विशिष्ट होंगे, यदि उस तारीख को वितरण होने की घटना हुई थी।यदि ऐसा है तो धारा 21 की उप-धारा (1) लागू होगीःयदि नहीं,

तो मामला धारा 21 की उप-धारा (4) द्वारा शासित होगा।”35. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में जो देखा जाना चाहिए वह यहां ऊपर उद्धृत नियम 35 के अनुसार परिसमापन की तारीख पर सदस्यों की सूची है।यह देखते हुए कि उस विशेष तिथि पर, वहाँ होगा

एफ.

जी.

एच.

नियमों में उल्लिखित विभिन्न वर्गों से संबंधित सदस्यों की एक निश्चित सूची होने पर, यह स्पष्ट है कि, महामहिम निजाम के परिवार (उपरोक्त) के न्यासियों के अनुपात को लागू करते हुए, सदस्यों की ऐसी सूची एक उतार-चढ़ाव वाला निकाय नहीं है, बल्कि परिसमापन की तारीख को एक निश्चित निकाय होने के कारण सदस्यों को फिर से 'निर्धारित' कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप, अनु. 21 ए. ए. में कोई आवेदन नहीं होगा।36. इन सभी कारणों से, विवादित निर्णय और समीक्षा निर्णय को अपास्त करना दिया जाता है।अपीलों की अनुमति लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के दी जाती है।

बी.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.